

प्रेषक,

कमलेश कुमार,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.ए, हापुड

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
प्रयगराज (इलाहाबाद)।

द्वारा—

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
जनपद हापुड।

विषय—  
चिकित्सीय आधार पर जनपद हापुड से स्थानांतरण स्थगित किये जाने व  
दिल्ली से नजदीक किसी भी जनपद में स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन—

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि जब मैं जनपद इटावा में कार्यरत था, उस समय मेरी पत्नी श्रीमती संध्या की बांयी छाती में गांठ का पता चलने पर जिला चिकित्सालय इटावा में अप्रैल, 2019 में चैक-अप कराया गया। जहां से FNAC की जांच हेतु सलाह दी गयी। जिसकी जांच मिनी पी0जी0आई0 सैफई, इटावा से कराये जाने पर Carcinoma (कैंसरकारी तत्व) के विद्यमान होना आख्यापित किया गया। फलस्वरूप जिला चिकित्सालय इटावा द्वारा तत्काल हायर सैन्टर में इलाज हेतु सन्दर्भित किया गया। जिसके बाद मेरे द्वारा पत्नी को राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, रोहिणी, दिल्ली में दिनांक 18.05.2019 को दिखाया गया। जहां पर उसकी एम.आर.आई, पेट सी.टी., मेमोग्राफी, एक्सरे व ब्लड की जांच की गयी। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मेरी पत्नी को दिनांक 20.05.2019 को उपरोक्त संस्थान में भर्ती कर दिनांक 21.05.2019 को मेजर आपरेशन कर उसकी बांयी छाती निकाल दी गयी तथा चिकित्सक के परामर्श के अनुसार पत्नी का लगातार एक वर्ष तक कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी, जांच व दवा चली। उसके बाद केवल दवा चल रही थी। आपरेशन के बाद लगभग तीन माह तक दवा कराने के बाद प्रतिमाह अधिक खर्च लगने की स्थिति में मेरे द्वारा पत्नी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली दिखाया गया। जहां पर उक्त संस्थान द्वारा शाष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर से ईलाज कराने की सलाह दी गयी। जहां से मेरी पत्नी का ईलाज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जांच व दवा होती रही। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का कोर्स पूरा हो जाने के बाद प्रतिमाह 2-3 बार उक्त संस्थान में जांच व ईलाज के लिये बुलाया जाने लगा। जो लगातार चल रहा था। इसी बीच मार्च 2022 में पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने व कमर की हड्डियों में दर्द होने पर एम.आर.आई. करायी गयी। जिसमें स्पाईनल कार्ड कैंसर से प्रभावित होना पाया गया।

जिसका मार्च 2022 से पुनः कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी व दवा चल रही है। प्रतिमाह राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर द्वारा दो-तीन बार बुलाया जाता है और ईलाज होता है। अभी यह आगे वर्षों तक चलेगा। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार पत्नी के जीवन सुरक्षा हेतु लम्बी दूरी की यात्रा न करने व भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गयी है। जो दिल्ली के नजदीक रहकर ही सम्भव है। इसलिए मुझे दिल्ली के नजदीक रहकर ईलाज कराना पड़ेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे तीन अवयस्क बच्चे हैं। जिनमें दो बड़ी पुत्रियां एवं सबसे छोटा एकमात्र पुत्र प्रत्यूष कुमार है। जब वह दो वर्ष की अवस्था में था, तब मेडिकल जांच में उसकी बांधी किडनी में ट्यूमर (बिल्स-ट्यूमर-कैंसर) का पता चला जिस कारण चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दिनांक 18.04.2013 को मेरे पुत्र का उपरोक्त राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, रोहिणी, दिल्ली में मेजर आपरेशन हुआ। तत्पश्चात् सात-आठ माह तक लगातार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी व दवा चलती रही। उसी समय से बच्चे को संस्थान में अभी भी दिखाना पड़ता है। समय-समय पर उसकी खुन की जांच, एक्सरे, अल्टासांडड, एम.आर.आई., ई.सी.जी. आदि की जाती है। संस्थान के डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जब तक वह अवयस्क है, लम्बी दूरी की यात्रा न करने, भीड़ भाड़ से बचने एवं उक्त संस्थान से मेडिकल जांच व उपचार कराने की सलाह दी गयी है। जिस कारण मुझे समय-समय पर अपने पुत्र की नियमित जांच करानी पड़ती है। मेरी पत्नी व पुत्र की जीवन सुरक्षा में खतरे की सम्भावना बनी हुई है। यदि उक्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर व राजीव गांधी कैंसर एण्ड रिसर्च सेन्टर, रोहिणी, दिल्ली से दूर मेरा स्थानांतरण होता है तो मुझे अत्याधिक असुविधा होगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मेरा स्थानांतरण जनपद हापुड़ से स्थगित किये जाने हेतु व यदि स्थानांतरण होता है तो उक्त संस्थानों के नजदीक किसी भी जिले में किये जाने हेतु मेरे अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत करने की कृपा करें।


**“आभार सहित।”**

दिनांक-20.12.2022

भवदीय

**संलग्नक:-**

पत्नी संध्या एवं पुत्र के चिकित्सीय उपचार के आवश्यक प्रपत्रों की प्रति।

  
(कमलेश कुमार) 20/12/22

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.ए, हापुड़